

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/367/2024, लखनऊ :: दिनांक 05 अप्रैल, 2024
-:: संशोधित आदेश ::-

कतिपय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण ने अवगत कराया है कि दिनांक 11.04.2024 को ईद-उल-फितर का अवकाश सम्भावित है। अतः पूर्व गठित खण्ड पीठ दिनांकित 08.04.2024 से 12.04.2024 तक के स्थान पर तीन दिवसीय किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 251/2024 दिनांक 04.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए लखनऊ, कानपुर एवं गाजियाबाद में दिनांक 08.04.2024 से दिनांक 10.04.2024 तक युगल गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-05.04.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ 1, 2 व 3, कानपुर पीठ 1, 2, 3 व 4, इलाहाबाद पीठ 1 एवं गाजियाबाद पीठ 1 व 2।
 - 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।